समाचार

कोरबा शहरी क्षेत्र में 150 स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया लोन

(हितग्राहियों को दिए गए क्यू.आर.कोड, गीतांजलि भवन सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम)

कोरबा 16 अक्टूबर 2020 –पी.एम.स्वनिधि योजनांतर्गत कोरबा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 150 स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसाय संचालन हेतु एस.बी.आई. द्वारा 10–10 हजार रूपये का लोन स्वीकृत किया गया। आज 50 स्ट्रीट वेंडरों को गीतांजलि भवन स्थित सभागार में ग्राहकों से आनलाईन भुगतान प्राप्त करने हेतु उन्हें क्यू.आर.कोड बैंक द्वारा प्रदान किया गया।

निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा के मुख्य आतिथ्य में पुराने बस स्टैण्ड कोरबा स्थित गीतांजलि भवन सभागार में कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया। स्टेट बैंक आफ इंडिया रीजनल मैनेजर बापूजी चरन स्वाई, मुख्य प्रबंधक अभिनव अग्रवाल, निगम सचिव पवन वर्मा, प्रबंधक पंकज चौरसिया, उप प्रबंधक एस.भास्कर आदि की उपस्थिति में कोरबा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स हितग्राहियों को क्यू.आर.कोड प्रदान किए गए। अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने तथा अन्य अतिथियों ने क्यू.आर. कोड प्रदान किया तथा उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला गुमठी लगातार अपने व्यवसाय संचालित करने वाले व्यक्तियों के लिए शासन की यह योजना महत्वपूर्ण योजना है। कोविड–19

के कारण लागू किए गए लाकडाउन में इनका व्यवसाय प्रभावित हुआ था तथा उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी, पुनः व्यवसाय संचालन के लिए उनके पास राशि उपलब्ध नहीं थी, इसे ध्यान में रखते हुए इन स्ट्रीट वेंडर्स को एस.बी.आई.द्वारा लोन उपलब्ध कराया गया है, जिससे वह पुनः अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे। एस.बी.आई. के रीजनल मैनेजर श्री बापूजी चरन स्वाई ने हितग्राहियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पुनः अपना व्यवसाय संचालित करें तथा इसके लिए उन्हे राशि की उपलब्धता सुलभ हो इसे ध्यान में रखते हुए लोन उपलब्ध कराया गया है। ग्राहकों से आनलाईन पेमेंट प्राप्त करने हेतु आज उन्हें क्यू.आर.कोड उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि भुगतान प्रक्रिया में आसानी हों। इस मौके पर उपस्थित हितग्राहियों को क्यू.आर.कोड के उपयोग तथा भुगतान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया गया।